

पृ. 01/04

स्पीड पोस्ट/ई-मेल

संख्या-6/एफ1-09/2025 श्र0सं0- 2772

बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग (श्रम पक्ष)

प्रेषक,

मनीष कुमार,
सहायक श्रमायुक्त।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी, मुंगेर/पश्चिम चम्पारण, बेतिया/समस्तीपुर/गोपालगंज/सारण,छपरा/
नवादा/सहरसा/पटना।

पटना, दिनांक- 27/05/2025

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुख्य शीर्ष-2230- श्रम, रोजगार और कौशल विकास- उप मुख्य शीर्ष-01-श्रम-114-उत्प्रवासी श्रम कल्याण- मांग संख्या-26-उपशीर्ष-0102-अन्तर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों के पुनर्वापसी पर व्यय, विपत्र कोड-26-2230011140102 (सामान्य श्रेणी) एवं विपत्र कोड-26-2230017890103 (अनुसूचित जाति), के अन्तर्गत **CFMS2.0 Software** से निर्गत किये गये आवंटन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग से प्राप्त दिशा निर्देश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025-26 में सहायक अनुदान-गैर वेतन मद में प्राप्त बजट उपबंध के विरुद्ध CFMS2.0 Software से निर्गत किये गये आवंटन का विवरण निम्नवत है:-

2. सामान्य कोटि (विपत्र कोड-26-2230011140102) के मृत प्रवासी श्रमिकों के वैध आश्रितों को विषय शीर्ष-31.06 सहायक अनुदान गैर वेतन मद में भुगतान के लिए रुपये ₹1,00,000/-मात्र एवं ₹2,00,000/-मात्र प्रति मृत प्रवासी श्रमिक की दर से आवंटित अनुदान की राशि का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र0 स0	जिला का नाम	मृतकों की संख्या	आवंटित राशि (₹)	(अभ्युक्ति) मृतक का नाम एवं पता
1	मुंगेर	01	1,00,000 / -	जिला पदाधिकारी, मुंगेर के ज्ञापांक-804, दिनांक 07.05.2025 के आलोक में। मृतक-स्व0 मनीष कुमार, पिता-ब्रह्मदेव यादव, आश्रित-अंजनी कुमारी (पत्नी), ग्राम-घटवे स्थान, पंचायत-भूना, पो0-लगमा, थाना+प्रखंड-टेटिया बम्बर, जिला - मुंगेर।
2	पश्चिम चम्पारण, बेतिया	01	2,00,000 / -	जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया, के ज्ञापांक-522, दिनांक-29.04.2025 के आलोक में। मृतक-स्व0 बिराज मुखिया, आश्रित-हीरालाल मुखिया (पिता), ग्राम-सेमरी भवानीपुर, वार्ड नं0-04, पो0+थाना-नवलपुर, प्रखंड-योगापट्टी, जिला-पश्चिम चम्पारण।
3	समस्तीपुर	01	1,00,000 / -	जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर, के ज्ञापांक-853, दिनांक-07.05.2025 के आलोक में। मृतक-स्व0 सुजीत कुमार, आश्रित- रामदयाल महतो (पिता), ग्राम+पोस्ट-सुरमार मेयरी, थाना+प्रखंड -सरायरंजन, जिला-समस्तीपुर।

(७)

पृ-02/04

		01	2,00,000 / -	जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर, के ज्ञापांक-70, दिनांक-30.04.2025 के आलोक में। मृतक-स्व0 नरेश राय, पिता-सोगारथ राय, आश्रित- रंजू देवी (पत्नी), ग्राम+पो0-विभुतिपुर, थाना+प्रखंड-विभुतिपुर, जिला-समस्तीपुर।
4	गोपालगंज	01	1,00,000 / -	जिला पदाधिकारी, गोपालगंज, के पत्रांक-441, दिनांक-09.09.2020 के आलोक में। मृतक-स्व0 वासदेव पटेल, आश्रित- सुमन देवी उर्फ सुमन कुमारी (पत्नी), ग्राम-मांझागढ शेख टोली, पो0+प्रखंड-बरौली, जिला-गोपालगंज।
5	सारण, छपरा	01	2,00,000 / -	जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा, के पत्रांक-1316, दिनांक-07.05.2025 के आलोक में। आवेदिका/आश्रित-लखपति देवी (पत्नी), पति-स्व0 मुकेश कुमार महतो, ग्राम-खेल, थाना+प्रखंड-मांझी, जिला-सारण।
		01	1,00,000 / -	श्रम अधीक्षक, सारण, छपरा के पत्रांक-1316, दिनांक-07.05.2025 के आलोक में। मृतक-स्व0 देव कुमार, आश्रित-प्रियंका देवी (पत्नी), ग्राम-सज्जनपुर गंगाजल, पो0-दिघवारा, प्रखंड+थाना-दरियापुर, अनुमंडल-सोनपुर, जिला - सारण, छपरा।
		01	2,00,000 / -	जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा के पत्रांक-1317, दिनांक-07.05.2025 के आलोक में। आवेदिका/आश्रित-ललिता देवी (पत्नी), पति-स्व0 अरविन्द कुमार, ग्राम-बहर माड़र, प्रखंड+थाना-परसा, जिला-सारण, छपरा।
6	नवादा	01	1,00,000 / -	जिला पदाधिकारी, नवादा के ज्ञापांक-73, दिनांक-20.01.2025 के आलोक में। (1) मृतक-स्व0 राजन कुमार, पिता-संजय लाल, आश्रित-उमा देवी (माता), ग्राम-सिदेश्वरपुर गांधी नगर, पो0+थाना-नवादा, प्रखंड-नवादा सदर, जिला-नवादा।
		01	1,00,000 / -	जिला पदाधिकारी, नवादा के ज्ञापांक-1199, दिनांक-26.12.2024 के आलोक में। (1) मृतक-स्व0 बंटी कुमार, पिता-श्री नौलेश कुमार, आश्रित- श्री नौलेश कुमार (पिता), ग्राम-नारदीडीह, पो0-नारदीगंज, प्रखंड+थाना-नारदीगंज, जिला-नवादा।
		01	1,00,000 / -	जिला पदाधिकारी, नवादा के ज्ञापांक-212, दिनांक-01.03.2025 के आलोक में। (1) मृतक-स्व0 बर्जेश प्रसाद, पिता-दर्शनी महतो, आश्रित-मसो० धर्मशीला देवी (पत्नी), ग्राम-लक्ष्मण बिगहा, पोस्ट-पसाढ़ी, थाना+प्रखंड-मेसकौर, जिला-नवादा।
		01	2,00,000 / -	जिला पदाधिकारी, नवादा के ज्ञापांक-213, दिनांक-01.03.2025 के आलोक में। (1) मृतक-स्व0 अनुपम कुमार, पिता-जगदीश प्रसाद, आश्रित-मसो० सुनिता देवी (पत्नी), ग्राम-भोला बिगहा, पोस्ट-बहादुरपुर, थाना+प्रखंड-रजौली, जिला-नवादा।

(10)

5-03/04

		01	2,00,000 / -	जिला पदाधिकारी, नवादा के ज्ञापांक-116, दिनांक-01.02.2025 के आलोक में। (1) मृतक-स्व0 सत्येन्द्र यादव, पिता-तुलसी यादव, आश्रित-चंचल देवी (पत्नी), ग्राम-बजवातरी, पो0-चमोथा प्रखण्ड+थाना-रजौली, जिला-नवादा
--	--	----	--------------	--

3. अनुसूचित जाति (विपत्र कोड-26-2230017890103) के मृत प्रवासी मजदूरों के वैध आश्रितों को विषय शीर्ष 31.06 सहायक अनुदान गैर वेतन मद में भुगतान के लिए रुपये ₹1,00,000/-मात्र एवं ₹2,00,000/-मात्र प्रति मृत प्रवासी श्रमिक की दर से आवंटित अनुदान की राशि का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र0 स0	जिला का नाम	मृतकों की संख्या	आवंटित राशि(₹)	(अभ्युक्ति) मृतक का नाम एवं पता
1	समस्तीपुर	01	2,00,000 / -	जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर, के ज्ञापांक-854, दिनांक-07.05.2025 के आलोक में। मृतक-स्व0 रामसेवक पासवान, पिता-रामजतन पासवान, आश्रित- रौशन देवी (पत्नी), ग्राम+पो0-सकरडिहार देवधा, पो0-गीता देवधा, थाना+प्रखंड-हसनपुर, जिला-समस्तीपुर।
2	सहरसा	01	2,00,000 / -	जिला पदाधिकारी, सहरसा के ज्ञापांक-598, दिनांक-09.05.2025 के आलोक में। मृतक-स्व0 खगेश कुमार, आश्रित- काजल देवी (पत्नी), ग्राम-करियत, पंचायत-गोलगा पूर्वी, थाना-पतरघट, जिला-सहरसा।
3	पटना	01	2,00,000 / -	जिला पदाधिकारी, पटना के ज्ञापांक-1493, दिनांक-07.04.2025 के आलोक में। आवेदक-शिवशंकर पासवान, पिता-सचिदानंद पासवान, ग्राम-गोवासा शेखपुरा, वार्ड सं0- 03, प्रखंड+थाना-पंडारक, जिला - पटना।
4	नवादा	01	2,00,000 / -	जिला पदाधिकारी, नवादा के पत्रांक-120, दिनांक-04.02.2025 के आलोक में। (1) मृतक-स्व0 गोविन्द चौधरी, पिता-गणेश चौधरी, आश्रित-ललिता देवी (पत्नी), ग्राम-जरहिया, पो0-सराय, थाना-सीतामढ़ी, प्रखण्ड-मेसकौर, जिला-नवादा
		01	1,00,000 / -	जिला पदाधिकारी, नवादा के पत्रांक-1200, दिनांक-26.12.2024 के आलोक में। (1) मृतक-स्व0 विनोद चौधरी उर्फ विनोद कुमार, पिता-बाबूलाल चौधरी, आश्रित-मंजू देवी (पत्नी), ग्राम-भदौरा, पो0-सभरी, थाना+प्रखंड-नारदीगंज, जिला-नवादा

4. यह राशि विभागीय स्वीकृतिदेश संख्या-2254, दिनांक-02.05.2025 के आलोक में चालू वित्तीय वर्ष-2025-26 में "बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजनान्तर्गत" अनुदान की राशि 2,00,000/- (दो लाख) मात्र एवं 1,00,000/- (एक लाख) मात्र प्रति मृतक प्रवासी श्रमिक की दर से, उनके आश्रित को भुगतान हेतु, आवंटित की गयी है।
5. अनुरोध है कि बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना नियमावली, 2008 के तहत जाँच पड़ताल करके राशि का भुगतान किया जाय। भुगतान के पश्चात् इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को ई-मेल/स्पीड पोस्ट द्वारा शीघ्र उपलब्ध कराने कि कृपा की जाय।

(10)

5-04/04

6. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-256/वि0 दिनांक-26.02.19, पत्रांक-732/वि0 दिनांक-31.07.19 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/वि0 (2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में है।
7. अनुरोध है कि इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय। यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है, तो वह अनियमित होगा।
8. अनुरोध है कि आवंटित राशि से हुए व्यय की सूचना विहित प्रपत्र में, आवश्यक टी0भी0 नं0 तथा तिथि के साथ, निकासी के उपरांत, अविलम्ब सक्षम प्राधिकार को निश्चित रूप से उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।
9. विभागीय अधिसूचना सं.-1/आई.एम.एल.-06/2016 श्र.सं.-3023 दि.-14.07.16 के आलोक में लाभुकों को अनुदान की राशि का भुगतान RTGS (Real Time Gross Settlement) पद्धति से उनके बैंक खाते में किया जायेगा।
10. अनुरोध है कि आवंटित राशि को, नियमानुसार जाँच कर, उन्हीं मृतक के आश्रित/आंशिक अपंग/पूर्ण अपंग प्रवासी मजदूरों को उपलब्ध कराया जाय, जिन्हें पूर्व में इस हेतु लाभांशित नहीं किया गया हो।
11. यह आवंटन राज्य योजना से संबंधित है।
12. श्रमायुक्त, श्रम संसाधन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन


26/05/25
मनीष कुमार,
सहायक श्रमायुक्त।

ज्ञापांक: 6/एफ1-09/2025 श्र0सं0- 2772

पटना, दिनांक- 27/05/2025

प्रतिलिपि:- सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित कोषागार एवं उप कोषागार पदाधिकारी/संबंधित उप श्रमायुक्त/संबंधित सहायक श्रमायुक्त/संबंधित श्रम अधीक्षक/संयुक्त श्रमायुक्त-2, प्रभारी प्रशाखा-01, श्रम पक्ष एवं व्यय विवरणी शाखा प्रशाखा-6, श्रम पक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ तथा आई०टी०मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

2. उपयोगिता प्रमाण-पत्र का संधारण संबंधित योजना शाखा (प्रशाखा-01) द्वारा किया जायेगा।

सभी संबंधित उप श्रमायुक्त, सहायक श्रमायुक्त एवं श्रम अधीक्षक से अनुरोध है कि वे संबंधित जिला पदाधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर आवंटित किये गये राशि के विरुद्ध नियमानुसार शत प्रतिशत व्यय करने हेतु अनुरोध करेंगे एवं कृत कार्रवाई से अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत कराने की कृपा करेंगे।

विश्वासभाजन


26/05/25
मनीष कुमार,
सहायक श्रमायुक्त,
बिहार, पटना।